ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 1, January 2019

नगरीय सामज में बढता बाल अपराध

डॉ. झब्बूराम वर्मा

सह आचार्य समाजशास्त्र

स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय

स्नातकोत्तर महाविद्यालय बॉदीकुई

समाज के नियमों का उल्लघंन करने वाला कृत्य ही अपराध कहलाता है। ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें अपराध की घटना न घटती हो अर्थात् समाज में संघटन के साथ ही साथ विघटन भी सैदव विद्यमान रहता है। अपराध की विवेचना करते हुये नीतिशास्त्र कहता है कि 'अपराध समाज विरोधी अनैतिक कार्य है।' वहीं धर्मशास्त्र के अनुसार पाप अपत्य है। अपराध को पहले एक व्यक्तिगत घटना माना जाता था, लेकिन समाज के विकास के साथ इस पुरानी मान्यता की जगह अब व्यक्ति का वह आचरण जो सामाजिक नियमों के खिलाफ होता है, अपराध है, यह मान्यता स्थापित हुई। है।

बार्न्स एवं टीटर्स कहते हैं कि ''अपराध एक इस प्रकार का समाज विरोधी व्यवहार है जो कि जनता की भावना को उस सीमा तक भग करें कि उसे कानून द्वारा निषिद्ध कर दिया गया हो।

मैंकेजी (डंबामद्रप) के अनुसार, ''अपराध समाज के विरुद्ध केवल उन अकर्मों को प्रकट करता है जिन्हें राष्ट्रीय कानून द्वारा स्वीकार किया गया है तथा जिनका कर्त्ता दण्ड का भागी है।''

हैकरवाल (भ्पामतूंस) कहते हैं, ''अपराध कानून का उल्लंघन है।'

IJIRSET

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 1, January 2019

सदरलैण्ड के अनुसार, ''कानून का उल्लंघन करने वाला व्यवहार ही अपराधी व्यवहार है। अपराध की विवेचना करते हुये डॉ सेठना कहते हैं कि अपराध ''कोई कार्य या दोष है जो कि एक देश–विदेश में उस समय प्रचलित कानून के अन्तर्गत दण्डनीय है।''

अपराध की समाजशास्त्रीय अवधारणा

विधि या कानून के अनुसार कानून द्वारा समाज में निषिद्ध किये गये कृत्यों को अपराध कहा गया है, लेकिन यदि समाज से कानून द्वारा निषिद्ध किये कृत्य समाप्त हो जायें तो अपराध भी समाप्त हो जायेंगे यह मानना गलत है। इस सदर्भ में सदरलैण्ड का कहना उचित ही है कि ''अपराध से संबधित कानूनों को समाप्त कर देने से अपराधों के नाम और उनके करने पर दिये जाने वाले दण्ड तो अवश्य बदल जायेंगे, लेकिन ऐसे कृत्यों के विरुद्ध सामाजिक प्रतिक्रिया वास्तव में अपरिवर्तित ही रहेगी क्योंकि ऐसे कार्यों के द्वारा सामाजिक हितों को उतनी ही हानि पहुँचने की संभावना होगी। अर्थात् समाज में हमेशा कुछ ऐसे व्यवहार विद्यमान रहते हैं जिनके क्रियान्वयन की स्वीकृति कभी भी समाज नहीं देता और इन व्यवहारों के क्रियान्वयन पर दण्ड की भी व्यवस्था करता है समाज की कोई भी क्रिया या व्यवहार जिससे समाज की एकता भंग होती है अपराध है। समाज के लिये आवश्यक है कि समाज में एक ऐसी स्थिति रखी जाये ताकि समाज व्यवस्थित रहे और यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार इसे अव्यवस्थित करता है तो स्वयं समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। अतः समाज व्यवस्था के लिये ऐसे व्यवहार अपराध हैं। इलियट और मैरिल का कहना है कि प्रत्येक अपराध का एक न एक सामाजिक पक्ष अवश्य होता है। सामाजिक दृष्टि से अपराध एक ऐसी दशा है जो कि सामाजिक संबंधो में गड़बड़ी या व्यवधान उत्पन्न करती है। इस व्यवधान को रोकने के लिये समाज द्वारा ही दण्ड की व्यवस्था की जाती है। सदरलैण्ड ने सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध के तीन आवश्यक तत्त्व बताये हैं–

(1) एक मूल्य जो एक समूह या समूह के भाग द्वारा, जो राजनैतिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण हो, सम्मिलित किया गया हो।

(2) इस समूह में एक–दूसरे भाग का होना, जो कि उस मूल्य का अधिक या कम विरोधी हो, इस कारण उसके लिये घातक सिद्ध हो।

(3) एक स्पष्ट या उचित दण्ड व्यवस्था का होना, जिसे कि उस मूल्य का आदर करने वाले मूल्यों का अनादर करने वालों पर लागू करते हैं।

सदरलैण्ड और टैफ्ट की अपराध की सामाजिक विवेचना से स्पष्ट होता है कि वे सभी कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं जो मानव सबधों में व्यवधान पैदा करते हैं एव समाज के लिये नुकसान देह होने वाले कार्यों की व्याख्या भी समाज स्वयं करता है। समाज द्वारा जिसे अपराधी माना जाता है उसे दण्ड देने की व्यवस्था भी स्वयं समाज ही करता है। अपराध का निर्धारण समाज द्वारा किये जाने के कारण सभी समाजों में अपराध की धारणा भी अलग–अलग होती है। समाज के जटिल होने के कारण मानव व्यवहार भी दिन–प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। इसीलिये किसी एक कारण के आधार पर हम मानव व्यवहार को नहीं समझ सकते। इसीलिये विद्वानों ने कहा है कि अपराध भी मानव के जटिल व्यवहार की एक अभिव्यक्ति हैय अतः अपराध के लिये कोई एक कारण महत्त्वपूर्ण नहीं है।

नगरीकरण और अपराधी व्यवहार

औद्योगीकरण का समाज पर व्यापक प्रभाव परिलक्षित हुआ है। औद्योगीकरण ने विकास के साथ ही साथ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को भी जन्म दिया है। सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप देश में आवास, नगरीकरण और अपराध एक विकट समस्या के रूप में उदित हुये हैं। अतः आज अपराध के एक प्रमुख कारक के रूप में औद्योगीकरण के बाद नगरीकरण को देखा जा रहा है।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 1, January 2019

विद्वानों का मत है कि नगरीकरण और अपराध में पारस्परिक संबंध है। नगरों में गाँवों की अपेक्षा पर्याप्त संसाधन होने एवं रोजगार के लिये गाँव के लोग नगरों में आ रहे हैं। जिससे संयुक्त परिवार विघटित होने लगे। नगरों में इससे आवास की समस्या उदित हुई। सयुक्त परिवार के विघटन से व्यक्ति पर पारिवारिक नियंत्रण घटने से स्वेच्छाचारिता विकसित हुई है जिससे वेश्यावृत्ति, शराब, जुआ, सट्टा आदि अपराध भी नगरों में पनपने लगे हैं। आवास की कमी से गदी बस्तियों के निर्माण से अपराध को मदद मिल रही है। नगरों में पास पड़ोस परिवार एवं पंचायत का दबाव नहीं रहता वहीं नगरीय जीवन के विलासितापूर्ण होने के कारण भी लोग अपराधी व्यवहार की ओर अग्रसित होते हैं।

नगरों के विकास से ग्राम उद्योगों का नाश हुआ है जिससे गाँव में निर्धनता एवं बेरोजगारी बढ़ी है। यह भी अपराध बढ़ाने में सहायक है। वहीं नगरों में आर्थिक पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ मनोरजन भी व्यापारिक है। स्त्रियों की गतिशीलता में वृद्धि एवं आर्थिक पक्ष को विशेष महत्त्व दिये जाने से नगर अपराधी व्यवहार के शरण स्थल बन गए हैं। दिल्ली महानगर में दिन–प्रतिदिन हो रही आपराधिक गतिविधियाँ स्वतः सिद्ध करती हैं कि नगरीकरण और अपराध में सकारात्मक सह–सम्बन्ध है।

बाल– अपराध

नगरीकरण के साथ समाज में विभिन्न समस्याओं ने भी जन्म लिया है। इन्हीं में से एक है बाल अपराध अपराध का ऐसा प्रकार जो एक विशिष्ट आयु के बालकों द्वारा किया जाता है बाल अपराध' कहलाता है। बाल अपराध के अर्थ के विषय में विद्वानों में मतैक्य है। कानूनी दृष्टि से भी इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। विभिन्न देशों में कानून द्वारा एक निश्चित आयु से कम आयु के बालकों द्वारा किया गया कार्य जो समाज विरोधी हो, बाल अपराध है।

न्यूमेयर के अनुसार, "एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है। जो समाज –विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिनका दुराचरण कानून का उल्लंघन है।''

Copyright to IJIRSET

IJIRSET

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 1, January 2019

रॉबिन्सन के अनुसार, "आवारागर्दी और भीख माँगना, दुर्व्यवहार, बुरे इरादे से शैतानी करना व उद्दण्डता करना आदि।

समाज में विकास के साथ–साथ विनाशकारी तत्त्व भी बढ़ रहे हैं। विश्व के सभी समाजों में सामाजिक समस्याओं के निदान हेतु करोड़ों रुपये व्यय किये जा रहे हैं। की स्वास्थ्य एव विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनीसेफ, केवर, रोटरी, लॉक्स आदि सक्रिय है, लेकिन इन सबके बाद भी विश्व में बाल अपराधी और बाल श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। बाल अपराधी एवं बाल श्रमिकों की बढ़ती सख्या से चिंतक विचारक, योजनाकार, समाजशास्त्री, सरकारें चिंतित एवं परेशान हैं।

बाल अपराध से कृषि प्रधान एवं अर्द्ध–विकसित राष्ट्रो की अपेक्षा औद्योगिक एवं विकसित राष्ट्र ज्यादा परेशान हैं। गाँवो की अपेक्षा नगर बाल अपराध के केन्द्र हैं। नगरीकरण ने सर्वाधिक निर्धनों को प्रभावित किया है। निर्धनता, गंदगी में जन्म ले रहे बालकों की स्वयं एवं परिवार के जीवनयापन के लिये श्रम और अपराध दोनों ही करना पड़ रहा है। बाल अपराध एक प्राचीन समस्या है, लेकिन इसमें वृद्धि नगरीकरण से हुई है। बाल अपराध समाज की एक ऐसी समस्या है जिसका निराकरण समय की माँग है। 'समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में अपराधी या बाल अपराधी एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे कार्यों का अपराधी है जिसको वह समूह, जिसमें अपने विश्वासों को कार्यान्वित करने की शक्ति है, समाज के लिये हानिकारक समझता है और इसलिये ऐसा कार्य करना भी मना है।'

समाज के प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ शैतानी अवश्य होती है, लेकिन यदि शैतानी की यही मात्रा सीमा को पार कर जाती है, तो इसे हम बाल अपराध कहते हैं।

बाल अपराध के कारण

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 1, January 2019

बाल–अपराध का अध्ययन कर विद्वानों ने उसके लिये विभिन्न कारण उत्तरदायी बताये हैं, उनमें प्रमुख हैं–

1. **व्यक्तिगत कारण**बाल – अपराध की विवेचना करते हुये विद्वानों का कहना है कि शारीरिक, मानसिक अस्वस्थता बालकों को अपराध के लिये प्रेरित करती है। अस्वस्थ बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं कर से फेल होने के कारण परिवार, पड़ोस की नजरों में गिर जाते हैं जिससे उनमें हीन भावना आ जाती है। इसी तरह शारीरिक विकलांगता वाले बालक समाज की उपेक्षा का शिकार हो, अपराधिक वृत्ति में लिए हो जाते हैं।

2. **पारिवारिक कारण** बाल अपराधियों के विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि इनमें पारिवारिक प्रभाव सर्वाधिक प्रभावी है। परिवार की स्थितियाँ बालक को बनाती बिगाड़ती हैं। माता–पिता में विवाह विच्छेद अथवा मृत्यु आदि से परिवार टूट जाता है। परिवार का संगठन बिगड़ने के कारण बच्चों का सामाजीकरण न होने से बच्चे बिगड़ने लगते हैं इसी तरह अनैतिक वातावरण वाले परिवारों की संतानें अपराध की ओर अग्रसित होती हैं। परिवार की आर्थिक दशा निम्न होने के कारण भी बच्चे अपराध की ओर बढ़ते हैं वहीं माता– पिता दोनों के काम करने से बच्चों पर परिवार का नियंत्रण न होने से भी बच्चे अपराध में सलग हो जाते हैं।

3. **सामुदायिक कारण** गदी बस्तियाँ एवं शराब, गांजा, भाग आदि की दुकानों के पड़ोस में होने से इनका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। टैफ्ट का कहना है कि बुरे संगी–साथी दूसरे बच्चों को ऊधमबाजी करना, दूसरों की वस्तुओं का नाश और अपराध की विधियों को सिखलाते हैं।

4. **भगोड़ापन और आवारापन** भगोड़ापन बाल अपराध का एक प्रमुख चरण है। घर, स्कूल से भागकर बाहर घूमने वाले बच्चों को अनेक ऐसे अवसर मिलते हैं जब वह बाल अपराधी में बदल जाते हैं। आवारा बच्चे इधर उधर घूमकर बुरी संगत में फैस जाते हैं। इसीलिये बाल अपराध में भगोड़ापन और आवारापन अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

IJIRSET

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 1, January 2019

नगरीकरण और बाल अपराध

वर्तमान समाजों में नगरीकरण की प्रक्रिया ने व्यापक बदलाव किये हैं। नगरीकरण की विशेषताओंसे आज समाज में एक नवीन पर्यावरण सृजित हुआ है। जिससे घनी आबादी, उपभोगी जीवन पद्धति,परिवार के महत्त्व में कमी, गंदी बस्तियाँ, प्रतिस्पर्द्धा सामाजिक विभिन्नता, मनोरंजन का व्यापारीकरण जैसी विलक्षणतायें उत्पन्न हुई हैं। इन नवीन परिस्थितियों से नगरों में बालक भी प्रभावित होने लगे हैं। आज के नगरीय समाज में सामान्य परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की निर्मित हो रही हैं जिनमें बालकों का बिगड़ना स्वाभाविक है। न्यूमेर लिखते हैं कि नगरीकरण की प्रक्रिया ने सभी समूहों को प्रभावित किया है, लेकिन बालक और किशोरों को तो उसने पर्याप्त मात्रा में विघटित किया है।' अभिशाम नगरीकरण के रूप में शहरों में जगह–जगह गदी बस्तियाँ पनपने लगी हैं, जिनमें असामाजिक तत्त्वों का आवास रहता है। इन बस्तियों में रहने वाले बच्चे गलियों में खेलते हैं जहाँ कि बुरी संगत में ये बीड़ी–सिगरेट पीना, आवारागर्दी करना, मारपीट करना जैसे अनुचित कृत्यों में संलग्न हो जाते हैं। अपराधी वर्ग भी इनका उपयोग शराब, वेश्यावृत्ति, जुआ आदि में कर इन्हें भी अपराध की नगरी में ले जाते हैं। अनुमान किया जाता है कि भारत की गदी बस्तियों में आज लगभग 1,60,00,000 बच्चे जीवनयापन कर रहे हैं। वहीं नगरों में मनोरजन आर्थिक लाभ का साधन बन गया है एवं नगरों में जनसंख्या के बढ़ते पनत्व के कारण यहाँ पर बच्चों के खेलने– कूदने की जगह का अभाव होने के कारण ये सड़कों, गलियों में आवारागर्दी करते हुये खेलते हैं और फिर यही अपराधी बन जाते हैं।

नगरीकरण ने महिलाओं को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भी बनाया है जिससे आज महिलायें भी नौकरी कर रही है। स्त्री– पुरुष के नौकरी करने से बालको का लालन–पालन व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाता। नौकरों के साथ रहने से बच्चे भी नौकरों के ही व्यवहार प्रतिमानों का अनुकरण करने लगते हैं। नगरीकरण ने बाल श्रमिकों में भी वृद्धि की है। बचपन से ही कष्टप्रद

Copyright to IJIRSET DOI:10.15680/IJIRSET.2019.0801080

स्थितियों में असाध्य कार्य करने से बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। विकृत स्वास्थ्य विकृत व्यवहार प्रतिमानों को पनपाता है। अशिक्षित बालक वयस्क श्रमिकों की संगत में बुरी आदतें सीख जाता है। कई शोधों से भी ज्ञात हुआ है कि बाल श्रमिकों में धूम्रपान, जुआ एवं विकृत यौन गतिविधियाँ विशेष रूप से व्याप्त होती हैं जो उन्हें एक अपराधी बनाने में सहायक होती हैं।

बाल अपराधियों की रोकथाम

आज बाल अपराध एक विश्वव्यापी समस्या है। इसकी तह में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, शैक्षणिक, सामाजिक आदि समस्यायें सलग हैं। बाल अपराध के दण्ड में अधिक सुधार की आवश्यकता है। कहा भी गया है। ''च्तमअमदजपवद पे ठमजजमत जींद ब्नतम क्योंकि बाल अपराधियों की समस्याएँ प्रौढ़ – अपराधियों से भिन्न होती हैं। अत दोनों के सुधार के तरीके भी पृथक् पृथक् होने चाहिएँ। बाल अपराध की रोकथाम के लिये सर्वप्रथम आवश्यक है परिवार की भूमिका परिवार को बालकों के सामने एक आदर्श स्थापित करना होगा। परिवार और शिक्षण संस्थायें ही बालकों का उचित और नैतिक व्यक्तित्व निर्माण कर सकती हैं। स्कूल के महत्त्व की व्याख्या करते हुये हूगो ने कहा भी है – वह व्यक्ति जो एक स्कूल खोलता है, वह एक जेल बंद करता है। परिवार और शिक्षण संस्थाओं के साथ ही हमें निम्न संस्थाओं पर भी ध्यान देना होगा–

बाल सुधार गृह आज भी देश में सुधार गृहों की कमी है। तथा जो हैं उनके कार्य सतोषजनक नहीं हैं। यहाँ पर सामान्य, नैतिक शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण द्वारा बालकों को आत्मनिर्भर एवं नैतिक रूप से विकसित किया जाता है।

बौर्स्टल संस्था इस सुधार संस्था में 15 से 21 वर्ष के अपराधी अनुशासनयुक्त परिस्थितियों में रखे जाते हैं। इनमें भी बालकों का नैतिक विकास कर एक आदर्श नागरिक बनाया जाता है।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 1, January 2019

किशोर न्यायालय इस न्यायालय का उद्देश्य दण्ड न देकर बाल अपराध के कारण और सुधार के उपाय जानना होता है। इसमें जजों की जगह पर चिकित्सक, मनोविश्लेषक, समाजशास्त्री, सामुदायिक कार्यकर्त्ता रखे जाते हैं। यहाँ पर बालक की बात ध्यानपूर्वक सुनकर समाधान खोजा जाता है। दोषी बालक को या तो माता पिता के सुपुर्द कर दिया जाता है या प्रोबेशन अधिकारी की देखरेख में रखा जाता है या सुधार गृह में भेजा जाता है।

बाल अपराध एक गंभीर समस्या है जिसे सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में सुधार के बिना दूर किया जाना संभव नहीं है। कानून इस समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं कर सकते बल्कि हमें जातकों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना होगा।

श्वेतपोश अपराध

अपराध समाज का महत्त्वपूर्ण बिकार है जो समाज को सभी तरह से खण्डित करता है। जैसे– जैसे समाज में वैज्ञानिक, कानूनी और तकनीकी विकास हो रहा है वैसे वैसे अपराधों की तकनीक और तरीके भी बदल रहे हैं। आज अपराध केवल समाज विरोधी क्रिया नहीं है जिसके लिए दण्डकी व्यवस्था हो। आज अपराध उनके द्वारा ही नहीं किये जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराबहो अथवा जिनमें कोई शारीरिक मानसिक विकार हो। वर्तमान समाज में ऐसे व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे हैं जो सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं आर्थिक दृष्टि से उच्च पद एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हैं। इस तरह के अपराधों को ही 'श्वेतपोश अपराध' कहा जाता है।

सदरलैण्ड ने श्वेतपोश अपराध को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रतिष्ठित एवं उच्च सामाजिक पद के व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवसाय के समय में किया गया अपराध ही श्वेतपोश अपराध है।'' आगे इसे और स्पष्ट करते हुए कहा है कि ''अपने आर्थिक कार्यकाल में उच्च सामाजिकऔर आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अपराधी कानून का उल्लघन ही श्वेतपोश अपराध है।''

IJIRSET

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 1, January 2019

श्वेतपोश अपराध की विशेषताएँ

1 श्वेतपोश अपराध समाज में विभिन्न क्षेत्रों में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा किया जाताहै।

2 इस तरह के अपराध में भी सामान्य अपराधों की तरह कानून का उल्लंघन किया जाता है, लेकिन इसमें अपराध को छुपाने का प्रयास किया जाता है।

3 श्वेतपोश अपराध भी दण्डनीय होते हैं, किन्तु इन अपराधों के कर्त्ता को प्रत्यक्ष दण्ड नहीं दिया जाता है।

4 श्वेतपोश अपराध विश्वासघात पर आधारित होते हैं। इसमें अपराधकर्त्ता पर सामान्य जनता द्वारा विश्वास किया जाता है और अपराधकर्त्ता द्वारा इस विश्वास की आड़ में ही अपराधकिये जाते हैं।

5 श्वेतपोश अपराध में कानूनी भिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून की अलग–अलग परिभाषा की जाती है।

6 श्वेतपोश अपराध में अपराधी का सरकार एवं शासन में हस्तक्षेप और प्रभाव रहता हैऐसी स्थिति में अपराधी पर प्रत्यक्ष कार्यवाही करना कठिन होता है।

7 श्वेतपोश अपराध में अपराधी प्राय सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होते हैं, जैसेकृव्यापारी, नेता, प्रशासक, शिक्षक, डाक्टर, वकील आदि।

8 श्वेतपोश अपराध भी समाज पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं तथा पेशे और समाज कोविपरित करते हैं।

श्वेतपोश अपराध के कारक

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 1, January 2019

श्वेतपोश अपराध के कारकों पर विद्वान एक मत नहीं है क्योंकि कोई एक ऐसा कारक अथवा कारण नहीं है जिसे इस प्रकार के अपराधों के लिए प्रमुख कारण माना जाये। इसके अतिरिक्त देश, काल और परिस्थिति के अनुसार भी श्वेतपोश अपराध के कारणों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ सामान्य कारकों को श्वेतपोश अपराध के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है जो अग्रलिखित है।

1 **स्वार्थवादी प्रवृत्ति**– समाज में जन स्वार्थवादी प्रवृत्तियाँ प्रबल होने लगती हैं तो समाज में अपराध बढ़ते हैं। इससे श्वेतपोश अपराधों में भी बढ़ोत्तरी होती है। दूध में पानी मिलाना, शुद्ध पी में डालडा मिलाना, नकली दवाइयाँ बनाना, गलत विज्ञापन देना, व्यापार चिन्हों (मार्का) का उल्लघन करना आदि ऐसे श्वेतपोश अपराध हैं जिनके मूल में स्वार्थी प्रवृत्तियाँ निरन्तर कार्य करती हैं।

2 **उच्च प्रतिष्ठा और पद**– समाज में उच्च पद तथा उससे जुड़ी प्रतिष्ठा भी श्वेतपोश अपराध का कारण है। उच्च पद और प्रतिष्ठा किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, जैसे– सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, प्रशासनिक आदि। उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति प्रशासन, सत्ता दोनों से सम्बन्ध और समन्वय रखते हुए पद की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अपराध करते हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं। इस तरह के अपराध प्रायः नेता, मंत्री, प्रशासक, व्यापारी आदि द्वारा किये जाते हैं, जैसे–कम मूल्य पर अपने रिश्तेदलों मित्रों को टेण्डर देना, कम योग्य व्यक्तियों को रोजगार देकरपैसा लेना, कम मूल्य पर भूमि आवंटित करवाना, फर्जी बिल बनाना, टैक्स की चोरी करना आदि।

3 **जन–चेतना का अभाव**– समाज में जन–चेतना के अभाव में भी श्वेतपोश अपराधउत्पन्न होते हैं तथा इसमें वृद्धि होती है क्योंकि जन चेतना में अभाव के कारण

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 1, January 2019

लोग श्वेतपोश अपराधी को जानते हुए भी उसके अपराधों को नजरअन्दाज कर देते हैं।

4 **गोपनीयता** श्वेतपोश अपराधों की प्रकृति गोप होती है अपराधी जनतासे तथा अपने मिलने जुलने वाले लोगों से बचकर इस तरह के अपराध किया करते हैं।

5 **अज्ञानता और अनभिज्ञता** समाज में अज्ञानता के कारण भी श्वेतपोश अपराध होते हैं। जनता अज्ञानता के कारण ही श्वेतपोश अपराधियों के झांसे में आ जाती है, जैसे– 500 रु. की पड़ी 50 रु. में, 1000 का कैमरा 100 रुपये, कृपया अग्रिम भेजिए और जनता अग्रिम राशि भेज देती है। जबकि इतने कम मूल्य पर ये चीजें उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य जनता की कानूनों के प्रति अनभिज्ञता भी श्वेतपोश अपराधों को उत्पन्न करती है, जैसेकृ मिलावट करने पर कौन से कानून द्वारा दण्ड दिया जा सकता है, उपभोक्ताओं का शोषण करने पर कौन–से कानून द्वारा दण्ड दिया जाता है आदि।

6 **कठोर दण्ड का अभाव**– श्वेतपोश अपराधों का एक कारण यह है कि इसमें अपराधी को कठोर दण्ड नहीं दिया जाता, साथ ही कई बार ये अपराधी अपनी जान पहचान द्वारा छूट जाते हैं अथवा जमानत करा लेते हैं। इस कारण भी श्वेतपोश अपराध बढ़ते हैं।

श्वेतपोश अपराधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

सदरलैण्ड का विश्लेषण

अमेरिकी अपराधशास्त्री सदरलैण्ड ने श्वेतपोश अपराधों के बारे में अध्ययन प्रस्तुत किया। सदरलैण्ड ने अमेरिका में व्यापारियों द्वारा किये गये श्वेतपोश अपराधों का अध्ययन किया। इस

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 1, January 2019

अध्ययन के लिए इन्होंने अमेरिका के 200 प्रतिष्ठित और बड़े संस्थाओं में से 70 को चुना। इसके साथ ही 15 शक्ति और बिजली निगमों का विशेष अध्ययन किया। इन उद्योग संस्थाओं और शक्ति तथा बिजली निगमों का अध्ययन करने का विशेष उद्देश्य निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त करना था

1. व्यापारिक गतिशोध, 2. गलत विज्ञापन 3 अन्यायपूर्ण पद्धति 4. विशिष्ट अधिकार– पत्र, सर्वाधिकार और व्यवहार चिन्ह का उल्लंघन करना, 5 वित्तीय ढंग और विश्वासघात, 6. युद्ध विधानों का उल्लंघन और अन्य अपराध ।

मदरलैण्ड ने अपने इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाले (1) इन नियमों के विरुद्ध 980 निर्णय अदालतों और आयोगों द्वारा लिये गये। (2) प्रत्येक अध्यित निगम ने औसतन 14 उन किये। (3) दो अति निगम ऐसे थे जिन्होंने 50 उपन किये। (4) इन निगमों में से 18 अपराधियों को अदालत द्वारा दोषी सिद्ध किया गया। (5) औसतन 16 प्रतिशत अपराधी न्यायालय द्वारा दोषी करार दिये गये। (6) अनेक निगमों ने युद्ध विधानों का उल्लघन किया, जैसेकृकर की चोरी, युद्ध सामग्रियों में व्यापारिक बाधा डालना आदि। (7) सभी 15 शक्ति और बिजली निगम किसी किसी अपराध में दोषी पाये गये तथा इन पर 20 व्यवहार तथा अपराध निर्णय लिए गये। ''जन उपयोगिता आयोग ने दंगों के आरोप में शक्ति और बिजली निगमों पर 386 आदेश प्रसारित किये।

सदरलैण्ड के अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि समाज की मूल इकाइयाँ ही सबसे अधिक अपराध करती हैं। ये सभी निगम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण इकाइयाँ हैं तथा समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा संचालित की जाती हैं।

बालस्टेन एवं वाइल का विश्लेषण

बालस्टेन एवं वाइल ने भी समाज में श्वेतपोश अपराधियों पर महत्त्वपूर्ण अध्ययन कार्य किया।इसके लिए इन्होंने प्रश्नावली विधि (फनमेजपवदंपतम डमजीवक) का प्रयोग किया। अपनी

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 1, January 2019

श्वेतपोश अपराध विश्लेषण प्रश्नावली में 49 अपराधों को सम्मिलित किया जिसमें से कुछ अपराध निम्न प्रकार थे—

1 विद्रोही शरारतें, 2 आक्रमण, 3 गाड़ियों की चोरी, 4 जुआ खेलना, 5 अभद्र व्यवहारकरना, 6. स्वास्थ्य कानूनों का उल्लघन करना, 7 चोरी 8 ठगी, 9 लूट, 10 रिश्वत लेना औरदेना, 11 दंगा करना, 12 कर की चोरी करना, 13 गुस्सा करना, 14 अपराधी निंदा पत्र।

बालस्टेन एव वाइल ने श्वेतपोश अपराधियों को यह प्रश्नावली दी और पूछा की क्या आप लोगों ने इनमें से कोई भी अपराध किया है। यह प्रश्नावली व्यापारियों, वकीलों अध्यापकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, धर्मवेत्ताओं, कारीगरों, किसानों, श्रमिकों, गृहस्वामियों, विद्यार्थियों, सैनिकों तथा शासकीय नौकरों को प्रदान की गईं। चुने गये उत्तरदाताओं में से 1698 उत्तरदाताओं ने प्रश्नावली को भरकर दिया। इन उत्तरदाताओं में से 1020 पुरुष तथा 678 महिलाएँ थी। उत्तरदाताओं में से 91 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि उन्होंने उपर्युक्त अपराधों में एक या एक से अधिक अपराध किये हैं।

वालस्टेन एवं वाइल ने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाले कि जिन व्यावसायियों द्वारा अपराध किये गये उनकी प्रकृति निम्न प्रकार थीं—

1 **व्यापारी और वकील**अपने अध्ययन द्वारा पाया गया कि व्यापारियों तथा वकीलों द्वारा सबसे ज्यादा श्वेतपोश अपराध किये गये। इन लोगों द्वारा जो अपराध किये गये उनमें से प्रमुख हैंकृकिसी तथ्य को झूठा करना, कर हटाना, दंगा करना और झूठी गवाही देना आदि।

2 **अध्यापक और सामाजिक कार्यकर्ता** अध्यापकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारागम्भीर प्रकृति के अपराध नहीं किये गये लेकिन शरारती प्रवृत्तियाँ अधिक की जाती हैं।

3 **सैनिक एवं शासकीय नौकर** सैनिकों और शासकीय नौकरों में साधारण चोरी कीप्रवृत्ति सबसे अधिक पायी गई।

IJIRSET

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 1, January 2019

4 **कारीगर एव यांत्रिकी** कारीगरों और यात्रिकों में मुख्य रूप से यौन अपराध एवं दुर्व्यवहारजैसे अपराध पाये गये।

5 **श्रमिक वर्ग**श्रमिक वर्ग द्वारा प्राय चोरी करना, सेंध मारना तथा लूट–पाट करना जैसे अपराध किये जाते हैं।

6 **विद्यार्थी वर्ग** विद्यार्थी वर्ग द्वारा साधारण प्रवृत्ति के अपराध किये गये, जैसे–आवागमन के नियमों का उल्लघन आदि।

7 **कृषक वर्ग** किसान वर्ग को अधिकतर बन्दूकों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों को अवैधानिक ढग से रखने का दोषी पाया गया। इनके पास अधिकांश अस्त्र शस्त्र ऐसे थे जिनका उनके पास लाइसेंस नहीं था।

8 **चिकित्सक** चिकित्सकों द्वारा भी अनेक श्वेतपोश अपराध किये गये। इनमें अनेक क्रियाएँ ऐसी थी जो केवल नैतिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैधानिक दृष्टि से भी वर्जित थी, जैसे–फर्जी बिल बनाने में कमीशन लेना, सत्यापित करने की फीस लेना, स्थानीय सस्ती दवाइयाँ लिखकर कमीशन लेना आदि।

9 **राजनयिक** राजनयिक नौकरशाही के साथ मिलकर कानूनों का उल्लघन करते हैं। इनके द्वारा वित्तीय कोष का दुरुपयोग किया जाता है तथा भाई–भतीजावाद को बढ़ावा दिया जाता है। ये नौकरशाहों से मिलकर पदो पर अनियमित नियुक्ति करके भी धन अर्जित करते हैं।

10 **श्रम संघ नेता** श्रम–संघ नेताओं द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति तथा लाभ के लिए श्रमिको तथा पूँजीपतियों के मध्य संघर्ष की स्थिति बनाये रखी जाती है। कई बार श्रम–संघ नेता अपने हितों की पूर्ति हेतु श्रमिकों का शोषण करते हैं और उनके पैसों (फण्ड) को बेवजह खर्च करते हैं। कई बार वह श्रमिकों के हितो के विरुद्ध पूँजीपतियों से सौदेबाजी करके बड़ी राशि ऐठते हैं आदि।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 1, January 2019

भारत में श्वेतपोश अपराध

भारत में पिछले दो दशक से श्वेतपोश अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन अभी तक भारत में इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया गया। भारत में सामान्य अध्ययनों से पता चला की समाज में निम्नलिखित प्रकार के श्वेतपोश अपराध प्रायः किये जाते हैंकृ

1 **व्यापारी वर्ग द्वारा** इस वर्ग द्वारा समाज में निम्न प्रकार के अपराध किये जाते हैंकृ(1) शासन के साथ विश्वासघात, टैक्स की चोरी करना आदि, (2) उपभोक्ताओं को महँगी और मिलावटी वस्तुएँ बेचना, (3) कम तौलना आदि, (4) अवैध व्यापार करना, जैसे—सोना, गाँजा, शराब, आदि।

2 **चिकित्सकों द्वारा** चिकित्सकों द्वारा भारतीय समाज में निम्न अपराध किये जाते हैंकृ (1) ज्यादा फीस लेना और फीस की लम्बी रकम लेकर मरीज को उलझाये रखना, (2) गलत बीमारी का प्रमाण—पत्र देना, (3) प्रभावहीन और स्थानीय दवाइयों का प्रयोग करना, (4) पर्याप्त शासकीय सुविधाएँ मरीजों को न देना, (5) सेम्पल दवाइयों को बेचना आदि।

3 **पुलिस द्वारा** पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा निम्न श्वेतपोश अपराध किये जाते हैंकृ (1) पुलिस कार्यवाही में देरी और उदासीनता बरतना, (2) जनता पर दमनात्मक कार्यवाही, (3) प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दबाव में भेदभावपूर्ण कार्यवाही, (4) अपराधियों को सरक्षण, (5) चौथ वसूली करना आदि।

4 **शिक्षकों द्वारा** शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली एव कॉलेजों के शिक्षकों द्वारा निम्न श्वेतपोश अपराध किये जाते हैं (1) शिक्षकों में अध्यापन के प्रति अरुचि, (2) शिक्षकों द्वारा कक्षाओं में बहुत कम जाना, (3) शिक्षा को व्यवसाय बनाकर ट्यूशन करना, (4) मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा में भाई—भतीजावाद को बढ़ाना, (5) गलत

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 1, January 2019

परीक्षाकों एवं जान–पहचान के परीक्षकों की नियुक्ति करना, (6) सलेक्टेड पाठ्यक्रम कराना तथा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम न कराना आदि।

5 **धर्मवेत्ताओं द्वारा** समाज के विभिन्न धार्मिक नेताओं द्वारा निम्न अपराध किये जाते हैंकृ (1) धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना, (2) धर्म की आड़ में साम्प्रदायिक संघर्ष कराना, (3) पूजा–पाठ, कर्मकाण्ड और दक्षिणा के नाम पर रुपये ऐंठना आदि।

उपरोक्त कारणों और परिस्थितियों के कारण भारत में निरन्तर तेजी से श्वेतपोश अपराधों में वृद्धि हो रही है और अपराध के नये–नये तरीके खोजे जा रहे हैं।